न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरत

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 17/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा ए स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदव

बनाम

1. ठकुरिया सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति जाट उम्र 68 वर्ष, (विक्रेता) मैसस महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, सैत, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर निवासी ग्राम गागरसोली पो0 सैत तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री गोविन्दसिंह (अध्यक्ष) मैसर्स महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड सैत तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3. मैसर्स महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड सैत तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी उप0

2. गैरसायल संख्या 1 स्वयं

निर्णय

दिनांक : 06.10.2020

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल संख्या 1 मय उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित । इस्तगासा की नकल देते हुये

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायल संख्या 1 को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिन 12.12.2019 को प्रातः 11:30 पर गैरसायल की फर्म महिला बहुउद्देशीय सहक समिति लिमिटेड सैत के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैत में अन्नप योजना के तहत बच्चो बच्चों के उपयोग वास्ते 500 मिली0 बजनी पैकिंग के मूल सील्ड पाउच पैक खाद्य पदार्थ फुल क्रीम मिल्क (सहज) का निरीक्षण कि गया। जिसमें मिलावट अथवा संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लि गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्य अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट सं एलएस–992/एक्ट/2019/42 दिनांक 14.01.2020 द्वारा उक्त फुल मिल्क (सहज) का नमूना मिथ्या छाप (Misbrand) स्तर का पाया गया है सायल द्वारा मिथ्या छाप (Misbrand) स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके एस.एस.एक्ट, 2006 की धारा 26 (2)(ii) व धारा 26 (2)(v) एवं नियम व वि 2011. का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि फुल क्रीम मिल्क (सहज) मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। मिथ्याछाप की जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुध लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए फुल क्रीम (सहज) का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की फर्म द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय सैत में बच्चो के उपयोग हेतु सप्लाई की जाने वाली फुल क्री (सहज) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की ज संख्या एलएस–992/एक्ट/2019/42 दिनांक 14.01.2020 द्वारा (Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप स्तर के मिल्क (सहज) का विक्रय करके एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 की धारा 26 धारा 26 (2)(v) एवं नियम व विनियम 2011. का उल्लघंन किया है। की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनिय

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः
अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितत
आधार पर गैर सायलान को 5,000/–रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्
दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजको
जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे

निर्णय आज दिनांक 06.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्
भरतपुर